संचिका सं0-17- दाखिल खारिज (कार्यशाला)-240/2017/1834/रा0, पटना, दिनांक-1/12/2017

बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

अधिसूचना

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के द्वारा बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) अधिनियम, 2017 की धारा-3 एवं बिहार दाखिल खारिज (संशोधन) नियमावली, 2017 के नियम-3 में निहित प्रावधानों के आलोक में दिनांक-01.12.2017 से राज्य के 45 अंचलों में आम नागरिकों/रैयतों की सुविधा, राज्यहित एवं दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाये रखने हेतु राज्य के निम्न अंचलों में दाखिल खारिज याचिकाएं ऑन-लाईन प्राप्त करने एवं उसका निष्पादन भी ऑन-लाईन किये जाने की व्यवस्था की गयी है :-

क्र0	अंचल का नाम	जिला का नाम
1	*2*	*3*
1	सदर अंचल अररिया	अररिया
2	सदर अंचल अरवल	अरवल
3	सदर अंचल औरंगाबाद	औरंगाबाद
4	सदर अंचल बांका	बांका
5	सदर अंचल बेगूसराय	बेगूसराय
6	जगदीशपुर अंचल	भागलपुर
7	नाथनगर अंचल	भागलपुर
8	सबौर अंचल	भागलपुर
9	सदर अंचल आरा	आरा
10	सदर अंचल बक्सर	बक्सर
11	बहादुरपुर अंचल, दरभंगा	दरभंगा
12	सदर अंचल दरभंगा	दरभंगा
13	सदर अंचल गया	गया
14	सदर अंचल गोपालगंज	गोपालगंज
15	सदर अंचल जमुई	जमुई
16	सदर अंचल जहानाबाद	जहानाबाद
17	सदर अंचल भभुआ	कैमूर (भभुआ)
18	सदर अंचल कटिहार	कटिहार
19	सदर अंचल, खगड़िया	खगड़िया
20	सदर अंचल किशनगंज	किशनगंज
21	सदर अंचल लखीसराय	लखीसराय
22	सदर अंचल मधेपुरा	मधेपुरा
23	पंडोल अंचल, मधुबनी	मधुबनी
24	रहिका अंचल, मधुबनी	मधुबनी
25	सदर अंचल मुंगेर	मुंगेर
26	मुशहरी अंचल, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
27	कांटी अंचल, मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर
28	सदर अंचल बिहारशरीफ	बिहारशरीफ
29	सदर अंचल नवादा	नवादा
30	सदर अंचल बेतिया	प0 चम्पारण
31	दानापुर अंचल	पटना
32	फुलवारीशरीफ अंचल	पटना
33	मोतिहारी, सदर अंचल	मोतिहारी

34	कृत्यानंद नगर अंचल	पूर्णियाँ
35	पूर्णियाँ पूर्वी अंचल	पूर्णियाँ
36	सासाराम सदर अंचल	सासाराम
37	कहरा अंचल	सहरसा
38	समस्तीपुर सदर अंचल	समस्तीपुर
39	सदर अंचल सारण छपरा	सारण
40	शेखपुरा सदर अंचल	शेखपुरा
41	शिवहर सदर अंचल	शिवहर
42	डुमरा अंचल,	सीतामढ़ी
43	सिवान सदर अंचल	सिवान
44	सुपौल सदर अंचल	सुपौल
45	हाजीपुर, सदर अंचल	वैशाली

2. उपरोक्त अंचलों में दाखिल खारिज वादों का ऑन–लाईन निष्पादन दिनांक–01.12.2017 से किया जाएगा। उक्त अंचलों में दिनांक–01.12.2017 से ऑफ–लाईन पद्धति से दाखिल खारिज वादों का निष्पादन नहीं किया जाएगा।

3. ऑन–लाईन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन से संबंधित अंचलों में रैयतों के द्वारा विहित प्रपत्र–I"क" (प्रतिलिपि संलग्न) में हित अर्जित करने के साक्ष्य के साथ दाखिल खारिज याचिका अंचल अधिकारी को कार्यालय में अथवा राजस्व शिविर न्यायालय में ऑन–लाईन समर्पित किया जाएगा, जिसकी प्राप्ति रसीद भी उन्हें प्रपत्र–IV में तत्काल उपलब्ध करायी जाएगी। इसके अतिरिक्त रैयतों द्वारा दाखिल खारिज याचिका किसी भी स्थल से ऑन–लाईन समर्पित किया जाएगा, जिन्हें भी प्रपत्र–IV में प्राप्ति रसीद उपलब्ध होगा। इस प्रकार से प्राप्त ऑन–लाईन दाखिल खारिज याचिकाओं से संबंधित जांच प्रतिवेदन हल्का कर्मचारी एवं राजस्व अधिकारी से ऑन–लाईन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा एवं प्राप्त जांच प्रतिवेदनों की समीक्षोपरान्त अंचल अधिकारी ऑन–लाईन दाखिल खारिज सॉफ्टवेयर के माध्यम से ही अपना आदेश पारित करेंगे तथा Digitally हस्ताक्षरित शुद्धि–पत्र प्रपत्र– XIV में ऑन–लाईन दाखिल खारिज पोर्टल के माध्यम से याचिकाआकर्त्ता को सुलभ करावेंगे अथवा याचिकाकर्त्ताओं द्वारा Digitally हस्ताक्षरित शुद्धि–पत्र अंचल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकेगा।

4. जिन अंचलों में ऑन–लाईन दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की प्रक्रिया प्रारम्भ की जाएगी, उनसे संबंधित सभी जमाबंदी पंजियों का डिजिटाईजेशन पूर्ण कर उसे जिला के वेब–साईट पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

5. दाखिल खारिज वादों के निष्पादन की ऑन–लाईन प्रक्रिया प्रारम्भ किये जाने की नयी व्यवस्था प्रारम्भ किये जाने पर आम लोगों को अंचल कार्यालय जाकर दाखिल खारिज याचिका समर्पित किये जाने की बाध्यता समाप्त हो जाएगी। दाखिल खारिज याचिका किसी भी स्थल से ऑन–लाईन समर्पित किया जा सकेगा, साथ ही दाखिल खारिज निष्पादन की सम्पूर्ण गतिविधि को याचिकाकर्त्ता एवं आम लोग दाखिल खारिज पोर्टल (www.land.bihar.gov.in) पर देख सकते है, जिससे दाखिल खारिज वादों के निष्पादन में पारदर्शिता बनाये रखा जाएगा। दाखिल खारिज के निष्पादन के क्रम में हर गतिविधि की जानकारी याचिकाकर्त्ता को उनके मोबाईल पर मैसेज के रूप में प्राप्त होता रहेगा, साथ ही दाखिल खारिज के निष्पादन के पश्चात् शुद्धि–पत्र भी आवेदक दाखिल खारिज पोर्टल

(www.land.bihar.gov.in) से Download कर प्राप्त कर सकेंगे, साथ ही दाखिल खारिज वादों की स्वीकृति के पश्चात् याचिकाकर्त्ता के नाम स्वतः जमाबंदी पंजी में जमाबंदी प्रारम्भ हो जाएगी।

विश्वासभाजन

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 1834 /रा0, पटना, दिनांक– 1/12/2017
प्रतिलिपिः–सभी विभागों के प्रधान सचिव/सचिव/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 1834 /रा0, पटना, दिनांक– 1/12/2017
प्रतिलिपिः–संबंधित अंचलों के अंचल अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 1834 /रा0, पटना, दिनांक– 1/12/2017
प्रतिलिपिः–मुख्य सचिव, बिहार के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 1834 /रा0, पटना, दिनांक– 1/12/2017
प्रतिलिपिः–माननीय मंत्री, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 1834 /रा0, पटना, दिनांक– 1/12/2017
प्रतिलिपिः– ई–गजट शाखा, वित्त विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं बिहार राज्य पत्र के अगामी असधारण अंक में प्रकाशन हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–17– दाखिल खारिज (कार्यशाला)–240/2017 1834 /रा0, पटना, दिनांक– 1/12/2017
प्रतिलिपिः– आई0टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने हेतु प्रेषित।

(विवेक कुमार सिंह),
प्रधान सचिव